तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम तामील
	के आदेश प्रदान किए जावें। पत्रावली वास्ते आदेश 6/12/24 को प्रस्तुत हो।	
	(हस्ताक्षर) 4/12/24	
	उपखण्ड अधिकारी कोटा	
6/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।	
	प्रकरण निम्न प्रकार हैं -	
	प्रार्थीगण नरेन्द्र खण्डेलवाल व हेमलता खण्डेलवाल द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 LR ACT वास्ते तरमीम दुरूस्ती इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 28/03/2018 को ख.नं. 2125/543 रकबा 0.16 हैक्टे तथा 2126/543 रकबा 0.16 हैक्टे वाके ग्राम नान्ता में क्रय की गई। उक्त क्रय प्रार्थीगण की पूर्व आराजी ख.नं. 542 व 2118/524 से लगते हुए किया गया था, लेकिन सहवन से विक्रय पत्र में दिशा अंकन में त्रुटि	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोटा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रद्द गई। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मौके पर तो प्रार्थीगण क्रय किये गए हिस्से अनुसार ही काबिज हैं। लेकिन विक्रय पत्र में दिशा टंकण में रही त्रुटि के कारण राजस्व नक्शे में तरमीम मौका अनुसार नहीं है। अतः तरमीम शुद्धि के आदेश प्रदान किये जावें।	
	अप्रार्थीगण कैलाशचन्द, नरेन्द्र कुमार, व लड्डूलाल उपस्थित हुए। शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जो शामिल पत्रावली हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने शपथपत्रों में वर्णित किया गया है कि उक्त 2.16 हे. आराजी हमें पैतृक रूप से प्राप्त हुई है, इसमें से 0.16 हे. का बेचान हमारे द्वारा नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्रीनाथ खण्डेलवाल व 0.16 हे. का बेचान हेमलता खण्डेलवाल पत्नी नरेन्द्र खण्डेलवाल को कर दिया गया था। लेकिन विक्रयपत्र में भूलवश दिशा गलत	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	अंकित हो गई थी। लेकिन मौके पर क्रेता विक्रय की मूल भावना अनुसार अपनी पूर्व स्थित भूमि से लगती हुई भूमि पर ही काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने शपथपत्र में यह भी निवेदन किया गया है कि क्रेता कृषि भूमि की तरमीम में मौके अनुसार शुद्धि करवावे तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उज्र नहीं है। . विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा ख.नं. 543 में से 0.16 हैक्टेयर व 0.16 हैक्टेयर आराजी क्रय की गई थी जो ख.नं. 2125/543 व 2126/543
उपखण्ड अधिकारी कोटा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

के रूप में प्रार्थीगण के खाते दर्ज
रिकार्ड है। संलग्न नकल खतौनी से
इस तथ्य का प्रमाणीकरण भी होता है।
साथ ही प्रार्थीगण द्वारा यह भी निवेदन
किया गया है कि उक्त ख.नं. की तरमीम
राजस्व नक्शे में निम्न प्रकार है .

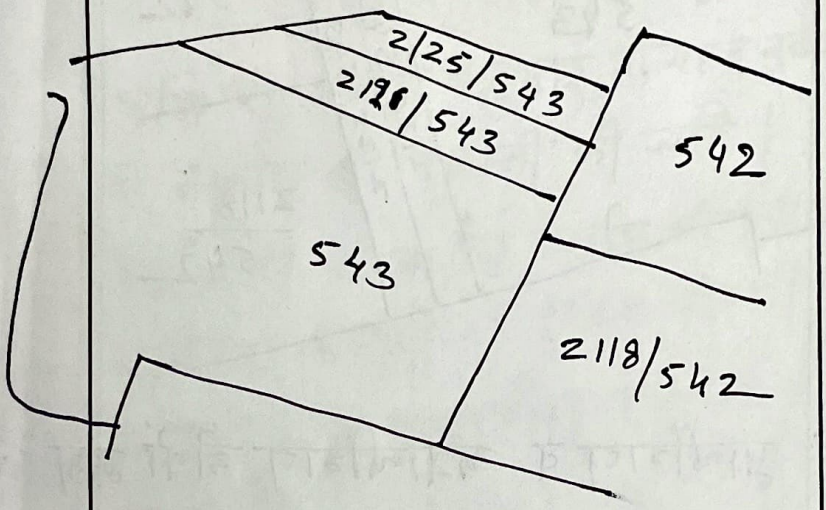

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है
कि उनके द्वारा जो भूमि क्रय की गई
थी वह उनकी भूमि से लगती हुई
क्रय की गई थी। तीनों अप्रार्थीगण
द्वारा भी न्यायालय में शपथ पत्र
प्रस्तुत कर व व्यक्तिगत उपस्थित होकर
स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा
भूमि का विक्रय क्रेता को पूर्व नियत ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
	ख.नं. 542 व 2118/542 से लगते हुए किया गया था। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों का ही कथन है कि मौका स्थिति निम्न प्रकार है —	

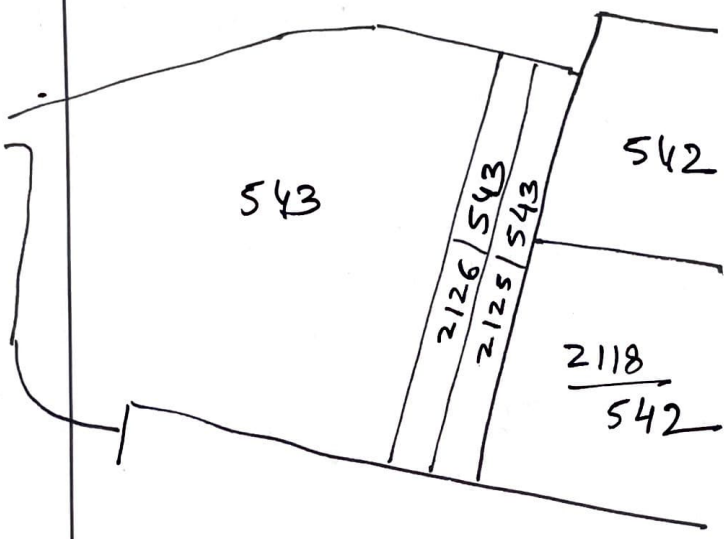

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों द्वारा ही अनुरोध किया गया है कि मौका अनुसार तरमीम की जावे।

समस्त दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों द्वारा ही तरमीम शुद्धि हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

उक्त स्थिति में हम वादीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 LR ACT वास्ते

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/	तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 LR ACT स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति अनुसार मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की दुरूस्ती की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 6/12/24. उपखण्ड अधिकारी कोटा	